



Neutral Citation No. - 2026:AHC:174552

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 29241 वर्ष 2026

रमेश @ कल्लू

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्तागण	: पवन कुमार शुक्ला, राजेश कुमार गौतम
प्रतिपक्षी के अधिवक्ता	: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 64

माननीय न्यायमूर्ति विवेक वर्मा

1. सूचनादाता की ओर से अधिवक्ता श्री आर.के. सिंह ने अपना वकालतनामा दाखिल किया है, जिसे अभिलेख पर लिया जाता है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता श्री आर.के. सिंह तथा राज्य-प्रतिपक्षी की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री एस.एस. पांडेय को सुना गया। अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया गया।
3. वर्तमान जमानत आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 123 वर्ष 2026, धारा 108 बी.एन.एस., थाना-तेजी बाजार, जिला-जौनपुर में विचारण लंबित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



4. आवेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक मृतका का जेठ है और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु का कारण निर्धारित नहीं किया जा सका। विसरा सुरक्षित रखा गया तथा रासायनिक विश्लेषण के लिए भेजा गया। विसरा रिपोर्ट केस डायरी का हिस्सा नहीं है। आगे, प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों तथा विवेचना के दौरान एकत्र की गई सामग्री के अनुसार, धारा 108 बी.एन.एस. के अंतर्गत अपराध गठित करने के लिए आवश्यक तत्व नहीं पाए जाते हैं। वैवाहिक कलह, सह-आरोपी सुरेश एवं सह-आरोपी संगीता के बीच अवैध संबंध अथवा उत्पीड़न के मात्र आरोप, किसी सकारात्मक रूप से उकसाने वाले कृत्य, जानबूझकर सहायता प्रदान करने अथवा ऐसे निकटवर्ती आचरण के अभाव में, जिसके कारण मृतका आत्महत्या करने के लिए विवश हुई हो, आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण का अपराध गठित नहीं करते हैं। अपने तर्क के समर्थन में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निपुण अनेजा एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (आपराधिक अपील संख्या 654 वर्ष 2017), दिनांक 03.10.2024 को निर्णीत तथा अभिनव मोहन देलकर बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य, (आपराधिक अपील संख्या 2177-2185 वर्ष 2024), दिनांक 18.08.2025 को निर्णीत मामलों में दिए गए निर्णयों पर भरोसा किया है। आवेदक दिनांक 18.06.2026 से जेल में निरुद्ध है, उसका कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है तथा यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह उक्त स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

5. सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, किंतु अभिलेख से उपर्युक्त प्रस्तुतियों का संतोषजनक रूप से खंडन नहीं कर सके।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने तथा अभिलेख का परिशीलन करने के पश्चात, यह न्यायालय प्रथम दृष्टया पाता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों तथा विवेचना के

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



दौरान एकत्र की गई सामग्री के अनुसार, धारा 108 बी.एन.एस. के अंतर्गत अपराध गठित करने के लिए आवश्यक तत्व नहीं पाए जाते हैं। विसरा रिपोर्ट केस डायरी का हिस्सा नहीं है। आवेदक के लिए ऐसा कोई निकटवर्ती अथवा प्रत्यक्ष कृत्य आरोपित नहीं है, जिसे आत्महत्या के लिए उकसाने, षड्यंत्र अथवा जानबूझकर सहायता प्रदान करने के रूप में माना जा सके। इसके अतिरिक्त, आवेदक दो माह से अधिक समय से निरुद्ध है और विचारण के शीघ्र समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है, विशेष रूप से तब जबकि राज्य द्वारा ऐसी कोई युक्तियुक्त आशंका सामने नहीं लाई गई है कि जमानत पर रिहा किए जाने पर आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करेगा अथवा विचारण में विलंब करेगा या साक्षी को धमकाएगा। मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, मेरा मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।

7. आवेदक **रमेश उर्फ कल्लू**, जो उपर्युक्त मुकदमा अपराध में सम्मिलित है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर समान राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

- (i) वह विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि पर उपस्थित होगा;
- (ii) वह अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा;
- (iii) वह अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा।

8. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन को इस न्यायालय के समक्ष जमानत निरस्तीकरण आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

(न्यायमूर्ति विवेक वर्मा)

19 अगस्त, 2026

अभिषेक

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”